कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail :eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 1565/7 सी0 दिनांक 25 मई 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत लमगड़ा से ठाठ गॉव तक मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली 1.170 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/15504/2015)**

संदर्भः **भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/213/2016/एफ0सी0/522 दिनॉक 06.08.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	राज्य सरकार द्वारा alternate alignment का सही परीक्षण नहीं किया गया है क्योंकि आस-पास नाप भूमि की अधिकता है जिसका उपयोग road alignment के लिये किया जा सकता है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस बाबत अपनी टीप प्रेषित करने का कष्ट करें।	विभाग द्वारा मुख्य मार्ग से लगे नाप खेतों से मोटर मार्ग के संरेखण को प्रस्तावित किये जाने के प्रयास किये गये। आस पास की नाप भूमि राज्य राजमार्ग 39 से लगी भूमि है जो व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यक्तियों द्वारा क्रय की गयी है। मोटर मार्ग हेतु उक्त भूमि दिये जाने में आपत्ति की गयी जिस कारण मार्ग अन्य स्थान से प्रस्तावित किया गया।
2	प्रस्तावित क्षेत्र में एक मार्ग पूर्व से ही निर्मित प्रदर्शित हो रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस मार्ग के निर्माण की जानकारी जैसे इसका निर्माण कब एवं किसके द्वारा किया गया था तथा FC Act (1980) के तहत् ली गई स्वीकृति, इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त मार्ग के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मार्ग पूर्व से ही अस्तित्व में है। विस्तृत जानकारी वर्तमान में अभिलेखों से स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है।
3	3. मलबा निस्तारण हेतु नाप भूमि का चयन किया गया है, किन्तु योजना मे उपलब्ध गणना सही प्रतीत नहीं होती है और न ही dispose किये जाने वाले मलबे की गणना dumping yard की capacity से मेल खाती है। अतः राज्य सरकार संशोधित मलबा निस्तारण योजना प्रेषित करने का कष्ट करें।	संशोधित मलवा निस्तारण योजना संलग्न कर प्रेषित है।
4	मार्ग के समरेखण हेतु 9 मीटर चौड़ाई के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु गणना की गई है, साथ ही वृक्षों की गणना भी 9 मीटर पर की गई प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि नियमानुसार 7 मीटर पर वृक्षों की गणना कर सूची इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मी0 चौड़ाई में करा ली गयी है। वृक्षों की सूची संलग्न कर प्रेषित है।
5	पूर्व में आनलाईन पोर्टल पर भाग 114 वृक्ष दर्शाये	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।

	गये थे जिनमें 0-30 गर्थ अथवा सैपलिंग को छोड़ दिया गया था जो कि enumeration के अनुसार 105 थे। राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी को सम्मिलित करते हुये आनलाईन पोर्टल पर दर्शाने का कष्ट करें।	
6	शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना हेतु घने यन की श्रेणी अनुसार दर लगाई गई है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार वृक्षों के बाकी को 7 मीटर पर की गई गणना अनुसार करने के उपरान्त यथानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
7	राज्य सरकार guideline के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	राज्य सरकार guideline के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के डी०एस०एस० विश्लेषण के अनुसार, कुल 234 है० क्षेत्र में से 1.0 है MDF एवं 1.0 है0 VDF पाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर आनलाईन जानकारी को replace करने का कष्ट करें।	संशोधित सी0ए0 योजना संलग्न कर ली गयी है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि– सहायक अभियंता(तृतीय), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत लमगड़ा से ठाठ गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाईन आपत्तियों में प्राप्त हुये। आपत्तियों के निराकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि की आवश्यकता थी। सी0ए0 भूमि की उपलब्धता न होने कारण आपत्तियों के निराकरण करने में विलम्ब हुआ है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण ससमय कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया जाता रहा है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पुनर्जीवित किये जाने हेतु पुनः प्रस्तुत किये जा रहे है।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत लमगड़ा से ठाठ गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के कार्यक्षेत्र, उददेश्य व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत लमगड़ा से ठाठ गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण

<u>प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु चाही गयी वांछित सूचनायें ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर ली गयी हैं।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।